



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2207]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 9, 2016/भाद्र 18, 1938

No. 2207]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 9, 2016/BHADRA 18, 1938

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 2016

**का.आ. 2906(अ).**—प्रारूप अधिसूचना, जिसे भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. 1161(अ) तारीख 1 मई, 2015 द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना की राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और प्रारूप अधिसूचना के उत्तर में सभी व्यक्तियों और पणधारियों से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यकतः विचार कर लिया गया है;

और, चांदका दंपारा वन्यजीव अभयारण्य, उड़ीसा के कटक और खुरदा जिले में अवस्थित है और 194.98 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला है;

और चांदका दंपारा वन्यजीव अभयारण्य में एशियाई हाथी जैव महत्व की प्रजातियों में से एक प्रजाति है इसके अतिरिक्त संकटग्रस्त प्रजातियों में से कुछ बिच्छू, जंगली कुत्ता, पिसूरी, भारतीय भीमकाय गिलहरी, अजगर, साल, सर्प गिद्ध जैसी प्रजातियां और अन्य प्रजातियां भी इस अभयारण्य में पाई जाती है;

और, वन्यजीव अभयारण्य के वनों में वर्षा होती है और भूजल जल भर को पुनः भरने में सहायता करती है तथा नदी का बचाव करती है और मिट्टी कटाव द्वारा सिल्ट जमने से बचाते हुए बहाव करती है और वन्यजीव अभयारण्य 23 मौसमी नालों, 13 जलाशयों जिनमें हैं, चार प्राकृतिक तथा 22 मानवनिर्मित एक क्रीडा टैंक है जो वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर फैले हैं;

और, उक्त पारिस्थितिक और पर्यावरणीय दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में चांदका दंपारा वन्यजीव अभयारण्य के संरक्षित क्षेत्र के चारों ओर के क्षेत्र को, जो इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट विस्तार और सीमाओं के क्षेत्र

को संरक्षित और सुरक्षित करना आवश्यक है तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों के प्रचालन या प्रसंस्करण या उद्योगों के वर्गों का प्रचालन और प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) के साथ पठित और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उड़ीसा राज्य में चांदका दंपारा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 500 मीटर से 7.34 किलोमीटर तक के विस्तारित क्षेत्र को चांदका दंपारा वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं--**(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन उड़ीसा के कटक और खुरदा जिलों में चांदका दंपारा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 500 मीटर से 7.34 किलोमीटर के बीच है और इसका विस्तार 85.06 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। चांदका दंपारा वन्यजीव अभयारण्य की दक्षिण भाग में सीमा के पार्श्वस्थ का क्षेत्र भुवनेश्वर नगर निगम के अंतर्गत आता है और भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण के अधीन शहरी विकास क्षेत्र आता है। वे क्षेत्र जहां पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा जुड़े अभयारण्य सीमा के प्रस्ताव किया गया है, अत्यधिक शहरीकृत क्षेत्र हैं और सौर तारबंदी के साथ-साथ हाथीरोधी खाइयों का यह सुनिश्चित करने के लिए उपबंध किया गया है कि कोई हाथी अभयारण्य के बाहर भ्रमण न करे। अभयारण्य सीमा के इस भाग के साथ-साथ पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार करना वांछनीय नहीं है।

चांदका दंपारा वन्यजीव अभयारण्य के निर्देशांक और पारिस्थितिक संवेदी जोन के निर्देशांक **उपाबंध I** के रूप में संलग्न है।

(2) अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का मानचित्र **उपाबंध II** के रूप में संलग्न है।

(3) चांदका दंपारा वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले 66 ग्रामों की उनके प्रमुख बिंदुओं पर देशांतरों और अक्षांशों के साथ एक सूची **उपाबंध III** के रूप में संलग्न है।

**उपाबंध III** में दिए गए ग्रामों पर आंचलिक महायोजना तैयार करते समय राज्य सरकार द्वारा और विचार किया जाएगा तथा उनकी पुष्टि की जाएगी।

2. **पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना** – (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से, इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) आंचलिक महायोजना राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप में ऐसी रीति में राज्य सरकार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य में भी तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देश, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी।

(4) आंचलिक महायोजना, इसमें पर्यावरणीय और पारिस्थितिक विचारों को समाकलित करने के लिए निम्नलिखित सभी संबद्ध राज्य सरकार के विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:--

- i. पर्यावरण ;
- ii. वन ;
- iii. नगर विकास ;
- iv. पर्यटन ;
- v. नगरपालिका ;
- vi. राजस्व ;

- vii. कृषि ; और  
viii. उड़ीसा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
होंगे ।

(5) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचनात्मक और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में और आंचलिक महायोजना में सभी अवसंरचना और अधिक प्रभावी और पारिस्थितिक अनुकूल क्रियाकलाप कारक इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो ।

(6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, आर्किडों, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यंकन करेगी ।

(8) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को पारिस्थितिक अनुकूल विकास और स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करते हुए विनियमित होगी ।

**3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:--

(1) **भू-उपयोग** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए हैं वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन, पैरा 5 के अधीन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन मद सं0 24, सं0 28, सं0 32, और सं. 37 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :-

- (i) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग,
- (ii) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिक अनुकूल आरामगाह जैसे टेंट, लकड़ी के मकान आदि ;
- (iii) वर्षा जल संचय, और
- (iv) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं :

परंतु यह और कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 तथा तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंज्ञात कोई त्रुटि मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में केवल एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी ।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा।

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोतों** -- आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे।

(3) **पर्यटन** -- (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, जो आंचलिक महायोजना का भाग रूप में निम्नलिखित रूप में होंगे।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, उड़ीसा सरकार द्वारा राजस्व और वन विभाग, उड़ीसा सरकार के परामर्श से तैयार होगी।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर होटल और रिसोर्ट के नए संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होंगे।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया होगा।

(4) **नैसर्गिक विरासत** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातो आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थलों** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होंगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा।

(7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा।

(8) **बहिस्त्राव का निस्सारण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्त्राव का निस्सारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट** - ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

- (i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(आ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;
- (ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्करण के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;
- (iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;
- (iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट-** पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना जि.एस. आर 343 (अ) तारीख 28 मार्च 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(11) **यानीय परिवहन** - परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

**4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों की सूची** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

#### सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)
<b>प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप</b>		
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां ।	(क) सभी प्रकार के खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानों और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं के सिवाय नहीं होंगी जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए भूमि को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइलों का निर्माण भी सम्मिलित है;  (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा ।
2.	आरा मीलों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मीलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।

3.	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए और विद्यमान प्रदूषण कारित करने वाले का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
5.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
6.	नए बृहत जल विद्युत परियोजना का स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
7.	प्लास्टिक के थैलों का उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
8.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्वाह और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
<b>विनियमित क्रियाकलाप</b>		
9.	होटलों और रिसोर्टों की वाणिज्यिक स्थापना ।	पारिस्थितिक पर्यटन क्रियाकलाप से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी व्यवसाय के लिए आवास के संबंध में संरक्षित क्षेत्र की सीमा के एक किलोमीटर या पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक, जो भी निकट हो, के भीतर ही नए वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों को अनुज्ञात किया जाएगा अन्यथा नहीं :  परन्तु वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुरूप होगा ।
10.	संनिर्माण क्रियाकलाप A	(क) संरक्षित क्षेत्र या पारिस्थितिक संवेदी जोन जो भी निकट हो की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परन्तु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण करने की अनुमति दी जाएगी ।  (ख) परन्तु यह और कि ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे ।  (ग) इसके अतिरिक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन से परे, सदभाविक स्थानीय आवश्यकताओं के लिए संनिर्माण की अनुज्ञा दी जाएगी और अन्य वाणिज्यिक संनिर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के अनुरूप होंगे।
11.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारों आदि द्वारा अभयारण्य क्षेत्र के ऊपर से उड़ाना और अन्य पर्यटन क्रियाकलाप ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
12.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंहीं वृक्षों की कटाई नहीं होगी ।  (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी ।

13.	कृषि प्रणालियों में आमूल परिवर्तन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
14.	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है ।	(क) भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि और घरेलू खपत के लिए जल का निष्कर्षण (सतही और भूमिगत जल) अनुज्ञात होगा । (ख) औद्योगिक, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल का निष्कर्षण के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण पूर्व लिखित अनुज्ञा अपेक्षित होगी जिसके अंतर्गत कितने परिणाम में वह निष्कर्षण करेगा, भी है । (ग) सतही या भूजल का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा । (घ) जल के संदूषण या प्रदूषण, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे ।
15.	विद्युत केबलों का परिनिर्माण।	भूमिगत केबलों को प्रोत्साहन देना ।
16.	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड लगाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
17.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण।	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनीकरण उपाय यथा लागू अनुसार होंगे ।
18.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
19.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
20.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
21.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
22.	वायु (ध्वनि सहित) और यानिक प्रदूषण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
23.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्वाह का निस्सारण ।	उपचारित बहिर्वाह के पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करना और अबमल या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन करना होगा ।
24.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, कृषि उद्यान या कृषि आधारित उद्योग, जो देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन करते हैं और जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, को अनुज्ञात किया जाएगा ।
25.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
26.	सुरक्षा बलों के कैप ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
27.	नए काष्ठ आधारित उद्योग ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाओं के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा : परंतु नए काष्ठ आधारित उद्योग जो कि 100 प्रतिशत आयातित काष्ठ पर आधारित हैं, पारिस्थितिक संवेदी जोन में स्थापित किए जा सकेंगे ।
28.	पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटक क्रियाकलापों के लिए, पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिक अनुकूल कुटीर, जैसे तंबू, लकड़ी के घर आदि ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
29.	पारिस्थितिक-पर्यटन क्रियाकलाप ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।

30.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
<b>संबंधित क्रियाकलाप</b>		
31.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि, जल कृषि और मछली पालन ।	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे ।
32.	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए ।
33.	जैविक खेती ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए ।
34.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए ।
35.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए ।
36.	वानस्पतिक बाड ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए ।
37.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए ।
38.	पर्यावरणीय जागरूकता ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए ।
39.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए ।
40.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए ।
41.	समुदाय प्रकृति भंडार।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए ।

**5. पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति-** (1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

- (क) जिला कलेक्टर, खुरदा - अध्यक्ष ;
- (ख) जिला कलेक्टर का प्रतिनिधि, कटक - सदस्य ;
- (ग) पुलिस अधीक्षक, खुरदा का प्रतिनिधि - सदस्य;
- (घ) पुलिस उपायुक्त, कटक का प्रतिनिधि - सदस्य;
- (ङ) प्रभागीय वन अधिकारी, खुरदा - सदस्य;
- (च) पर्यावरण, वन और जलवायु पर्यावरण मंत्रालय उड़ीसा सरकार का प्रतिनिधि - सदस्य ;
- (छ) पारिस्थितिक और पर्यावरण के क्षेत्र में ऐसा विशेषज्ञ, जो राज्य सरकार द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाए- सदस्य ;
- (ज) पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों का उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि - सदस्य ;
- (झ) प्रादेशिक अधिकारी, उड़ीसा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - सदस्य ;
- (ञ) खान विभाग, उड़ीसा सरकार का प्रतिनिधि - सदस्य;
- (ट) शहरी विकास विभाग, उड़ीसा सरकार का प्रतिनिधि - सदस्य;
- (ठ) पर्यटन विभाग, उड़ीसा सरकार का प्रतिनिधि - सदस्य;
- (ड) राज्य जैव-विविधता बोर्ड का सदस्य -सदस्य;
- (ढ) प्रभागीय वन अधिकारी, प्रभारी, चांदका दंपारा वन्यजीव अभयारण्य - सदस्य सचिव।



**निर्देश निबंधन**

- (1) पारिस्थितिक संवेदी जोन समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।
  - (2) मानीटरी समिति का कार्यकाल तीन (3) वर्ष का होगा।
  - (3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।
  - (4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।
  - (5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर या संरक्षित क्षेत्र का प्रभारी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।
  - (6) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।
  - (7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्य जीव वार्डन को **उपाबंध IV** में उपबंधित रूप में उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।
  - (8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।
6. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे।
7. माननीय भारत के उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन, इस अधिसूचना के उपबंध होंगे।

[फा. सं. 25/21/2014-ईएसजेड-आरई]

डॉ. टी. चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

## उपाबंध I

## चंदाका दंपारा वन्यजीव अभयारण्य के स्तम्भ निर्देशांक


स्तम्भ	देशांतर	अक्षांश
क.	85°48'29.52"पू	20°26'4.33"उ
ख.	85°38'57.64"पू	20°25'30.44"उ
ग.	85°34'49.85"पू	20°16'11.93"उ
घ.	85°39'55.91"पू	20°12'32.94"उ
ङ.	85°47'48.63"पू	20°17'2.90"उ
च.	85°48'45.72"पू	20°19'10.91"उ

## पारिस्थितिक संवेदी जोन के निर्देशांक के निर्देश बिंदु

पारिस्थितिक संवेदी जोन के निर्देशांक के निर्देश बिंदु		
स्टेशन	देशांतर	अक्षांश
क.	85°49'38.50"पू	20°24'35.28"उ
ख.	85°44'54.29"पू	20°24'44.28"उ
ग.	85°42'21.46"पू	20°24'51.83"उ
घ.	85°40'6.91"पू	20°28'35.23"उ
ङ.	85°39'52.83"पू	20°25'20.54"उ
च.	85°37'47.53"पू	20°22'15.00"उ
छ.	85°35'49.65"पू	20°17'47.14"उ
ज.	85°34'46.44"पू	20°15'56.08"उ
झ.	85°40'10.18"पू	20°13'7.16"उ
ञ.	85°46'49.55"पू	20°17'2.72"उ
ट.	85°45'1.52"पू	20°23'12.21"उ
ठ.	85°48'23.30"पू	20°23'57.95"उ
ड.	85°49'26.36"पू	20°24'34.04"उ

## उपाबंध II

चांदका दंपारा वन्यजीव अभयारण्य, पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का इसके अधिकतम और विस्तार के अक्षांश और देशांतर सहित मानचित्र



## उपाबंध III

चांदका दंपारा वन्यजीव अभयारण्य, उड़ीसा के प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर आने वाले ग्रामों की सूची

क्र.सं	नाम	अक्षांश	देशांतर
1.	पीतापाली	85° 39' 36.506" पू	20° 12' 22.685" उ
2.	कंजीयामा	85° 38' 56.847" पू	20° 12' 27.541" उ
3.	कुम्भारबास्ता	85° 38' 47.944" पू	20° 13' 5.581" उ
4.	पालाशपुर	85° 39' 0.894" पू	20° 14' 14.377" उ
5.	मधुपुर	85° 39' 8.988" पू	20° 14' 48.370" उ
6.	अंगारपाड़ा	85° 39' 5.750" पू	20° 15' 23.982" उ

7.	मिचिनपटना	85° 38' 43.898" पू	20° 15' 46.644" उ
8.	माजाना	85° 37' 43.195" पू	20° 15' 40.979" उ
9.	ताराकाई	85° 36' 0.406" पू	20° 16' 3.641" उ
10.	कुआपूत	85° 35' 38.554" पू	20° 17' 4.343" उ
11.	तालाबस्त	85° 37' 14.868" पू	20° 17' 45.621" उ
12.	अरापुर	85° 36' 50.587" पू	20° 20' 38.015" उ
13.	दुलानापुर	85° 36' 42.493" पू	20° 21' 15.246" उ
14.	गदाजीत	85° 37' 39.149" पू	20° 23' 2.081" उ
15.	कुसुपांगी	85° 38' 10.714" पू	20° 25' 9.151" उ
16.	पाथापुर	85° 39' 25.175" पू	20° 26' 36.563" उ
17.	कान्दारपुर	85° 39' 46.219" पू	20° 27' 38.074" उ
18.	नानदाइलो	85° 41' 41.957" पू	20° 26' 30.897" उ
19.	रोतारापुर	85° 40' 53.396" पू	20° 26' 47.084" उ
20.	छरी घरिया	85° 40' 52.586" पू	20° 25' 58.523" उ
21.	दासापुर	85° 42' 53.991" पू	20° 26' 30.897" उ
22.	गयालबैंक	85° 42' 22.426" पू	20° 25' 7.533" उ
23.	भागीपुर	85° 43' 56.312" पू	20° 25' 14.008" उ
24.	बनारा	85° 44' 32.733" पू	20° 25' 51.238" उ
25.	चकुल्लेश्वर	85° 38' 21.235" पू	20° 26' 51.940" उ
26.	भूआस्वनी	85° 46' 6.619" पू	20° 24' 24.636" उ
27.	चाकराधपुर	85° 46' 52.753" पू	20° 24' 52.964" उ
28.	रामदासपुर	85° 47' 11.368" पू	20° 26' 6.616" उ
29.	भालूंका	85° 47' 51.836" पू	20° 25' 27.767" उ
30.	रातागढ	85° 48' 21.783" पू	20° 26' 12.282" उ
31.	चंदीप्रसाद	85° 49' 2.251" पू	20° 25' 40.717" उ
32.	मधुबाना	85° 49' 22.485" पू	20° 25' 25.339" उ
33.	श्रीबंतापुर	85° 49' 20.057" पू	20° 25' 4.295" उ

34.	चूधंगा	85° 48' 46.873" पू	20° 25' 8.342" उ
35.	दोहापटना	85° 49' 28.960" पू	20° 24' 39.205" उ
36.	क्रुशनगर	85° 47' 55.883" पू	20° 24' 24.636" उ
37.	तूलाशदीपुर	85° 46' 14.713" पू	20° 23' 24.744" उ
38.	चंदाका	85° 45' 20.485" पू	20° 23' 14.222" उ
39.	सिम्लीपाटना	85° 45' 9.154" पू	20° 22' 25.660" उ
40.	अनालपाटना	85° 45' 14.011" पू	20° 21' 56.523" उ
41.	दालुवा	85° 45' 19.676" पू	20° 21' 29.814" उ
42.	कुझीमहल	85° 45' 39.910" पू	20° 21' 24.149" उ
43.	सुन्दरपुर	85° 46' 45.469" पू	20° 20' 56.630" उ
44.	अंधारूवा	85° 46' 38.994" पू	20° 19' 11.413" उ
45.	जगन्नाथप्रसाद	85° 46' 8.238" पू	20° 20' 14.543" उ
46.	भोला	85° 44' 1.977" पू	20° 20' 43.680" उ
47.	दासापुर	85° 44' 48.920" पू	20° 19' 1.701" उ
48.	घंगापटना	85° 43' 59.549" पू	20° 19' 2.510" उ
49.	कंताबाद	85° 43' 0.466" पू	20° 19' 43.788" उ
50.	भागाबातीपुर(1)मुनडासाही	85° 42' 19.998" पू	20° 18' 55.226" उ
51.	वारापाती (1) मुनडासाही	85° 41' 37.101" पू	20° 18' 33.373" उ
52.	हरीदामादा (1) आदिवासीसाही	85° 41' 3.917" पू	20° 17' 35.099" उ
53.	बिनझागिरी	85° 40' 7.262" पू	20° 16' 57.868" उ
54.	जामुझरी	85° 40' 42.874" पू	20° 16' 36.015" उ
55.	छाताबार	85° 40' 48.540" पू	20° 15' 39.360" उ
56.	पानीओरा	85° 39' 51.075" पू	20° 14' 7.902" उ
57.	रतनपुर	85° 39' 43.791" पू	20° 13' 30.671" उ
58.	भाटाकुरी	85° 40' 4.025" पू	20° 12' 41.300" उ
59.	भोगरा	85° 41' 39.86" पू	20° 26' 47.69" उ
60.	बञ्जीपुर	85° 49' 53.52" पू	20° 25' 33.65" उ

61.	फकीरपाडा	85° 38' 10.50" पू	20° 17' 30.25" उ
62.	कंदबाझारा	85° 39' 53.81" पू	20° 18' 28.01" उ
63.	कोदुआमुण्डा	85° 40' 0.57" पू	20° 16' 55.61" उ
64.	कृष्णमोहनपुर	85° 39' 1.36" पू	20° 18' 39.63" उ
65.	बनटाला	85° 37' 3.66" पू	20° 15' 58.02" उ
66.	गढ-हल्दिया	85° 34' 17.76" पू	20° 16' 53.77" उ

#### उपाबंध IV

#### पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान :

1. बैठकों की संख्या और दिनांक ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना ।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली क्रियाकलापों की संविधा के मामलों का सारांश । ब्यौरों को पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली क्रियाकलापों की संविधा के मामलों का सारांश । ब्यौरों को पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. महत्ता का कोई अन्य विषय ।

#### MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 9th September, 2016

**S.O. 2906(E).**—WHEREAS, a draft notification was published by the government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section(ii) vide number S.O. 1161 (E), dated 1<sup>st</sup> May, 2015, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, objections and suggestions received from all persons and stakeholders in response to the draft notification have been duly considered by the Central Government;

AND WHEREAS, the Chandaka Dampara Wildlife Sanctuary is located in the Cuttack and Khurda District of Odisha and extends over an area of 194.98 square kilometres;

AND WHEREAS, the Asian Elephant is the species of vital importance in Chandaka Dampara Wildlife Sanctuary, besides some of the most endangered species like ratel, wild dog, mouse deer, Indian giant squirrel, python, pangolin, serpent eagle and other species are also found in the Sanctuary;

AND WHEREAS, the forests of the sanctuary intercept rainfall and help recharge ground water aquifer and protect rivers and streams against siltation by minimizing soil erosion and the sanctuary has a well-knit network of 23 seasonal nalla, 13 reservoirs out of which four are perennial, 22 man-made game tanks spreading throughout the Sanctuary.

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of the Chandaka Dampara Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 500 metres to 7.34 kilometre from the boundary of the Chandaka Dampara Wildlife Sanctuary in the State of Odisha as the Chandaka Dampara Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereinafter referred to as the Eco-sensitive Zone), details of which are as under, namely:-

1. **Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.**-(1) The Eco-sensitive Zone varies from 500 metres to 7.34 kilometres from the boundary of the Chandaka Dampara Wildlife Sanctuary in the Cuttack and Khurda districts of Odisha and extends over an area of 85.06 square kilometres. On the South side of Chandaka-Dampara Wildlife Sanctuary, the area adjacent to the boundary comes under Bhubaneswar Municipal Corporation and is an Urban Development area under Bhubaneswar Development Authority. The areas where it has been proposed to make the sanctuary boundary coterminous with the Eco-sensitive Zone boundary are highly urbanized areas and elephant proof trenches along with solar fencing have been provided to ensure that no elephant strays outside the sanctuary. Extending the Eco-sensitive Zone along this part of the Sanctuary boundary is not desirable.

The co-ordinates of Chandaka – Dampara Wildlife Sanctuary and Eco-sensitive Zone co-ordinates are appended as **Annexure-I**.

(2) A map of Eco-sensitive Zone boundary together with its latitudes and longitudes is appended as **Annexure II**.

(3) A list of 66 villages falling within the Chandaka Dampara Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone alongwith their longitudes and latitudes at prominent points is appended as **Annexure III**.

The villages as given in Annexure III shall be further revisited and confirmed by the State Government while preparing the Zonal Master Plan.

2. **Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.**- (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The Zonal Master Plan shall be approved by the competent authority in the State Government.

(3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-

(i) Environment;

(ii) Forest;

(iii) Urban Development;

(iv) Tourism;

- (v) Municipal;
- (vi) Revenue;
- (vii) Agriculture; and
- (viii) Odisha State Pollution Control Board;

for integrating environmental and ecological considerations into it.

(5) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure eco-friendly development and livelihood security of local communities.

3. **Measures to be taken by Union territory Government.-** The State Governments shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Landuse.-** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 24, 28, 32 and 37 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

- (i) Small scale industries not causing pollution;
- (ii) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, for eco-friendly tourism activities;
- (iii) Rainwater harvesting; and
- (iv) Cottage industries including village artisans:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without complying with the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that the State Government shall correct any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone after obtaining the views of the Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural Springs.-**The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.



(3) **Tourism.**-(a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Department of Tourism, Government of Odisha shall prepare the Tourism Master Plan in consultation with the Department of Revenue and Forests, Government of Odisha.

(c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority, Ministry of Environment, Forest and Climate Change (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(ii) new construction of hotels and resorts shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone;

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural Heritage.**- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs and other natural heritages shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.**- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.**- The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981)and the rules made thereunder.

(7) **Air pollution.**- The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981)and the rules made thereunder.

(8) **Discharge of effluents.**- The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974(6 of 1974)and the rules made thereunder.

(9) **Disposal of Solid wastes.**- (i) the solid waste in Eco-sensitive Zone shall be disposed of in accordance with the provisions of the Solid Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8<sup>th</sup> April, 2016 as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) the inorganic material may be disposed in an environmentally acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.**- The bio-medical waste in the Eco-sensitive Zone shall be disposed of in accordance with the provisions of the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R 343 (E), dated the 28<sup>th</sup> March, 2016, as amended from time to time.

(11) **Vehicular traffic.** - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the

Zonal master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Act and the rules and regulations made thereunder.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.**-All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder and shall be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

**TABLE**

Sl. No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
<b>A. Prohibited Activities:</b>		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited except for the <i>bona fide</i> domestic needs of local residents. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the orders of the Hon'ble Supreme Court dated the 4 <sup>th</sup> August, 2006 in the matter of T.N.GodavarmanThirumulpad Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.202 of 1995 and dated the 21 <sup>st</sup> April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco Sensitive Zone.
3.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of existing polluting industries shall be permitted within the Eco-sensitive Zone shall be permitted.
4.	Use or production of any hazardous substances	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Establishment of new major hydroelectric projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	Uses of plastic carry bags.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
<b>B. Regulated Activities:</b>		
9.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or up to the boundary of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities. Provided that, beyond one kilometre or up to the extent of the Eco-sensitive Zone, all new tourism activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan.

10.	Construction activities	<p>(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometre from the boundary of protected area or up to the boundary of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer.</p> <p>Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their residential use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3:</p> <p>(b) Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per the applicable rules and regulations, if any.</p> <p>(c) Beyond one kilometre upto the extent of Eco-Sensitive Zone, construction for <i>bona fide</i> local needs shall be allowed and other construction activities shall be regulated as per the Zonal Master Plan.</p>
11.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the sanctuary area by hot-air balloons and other tourism activities.	Regulated under applicable laws.
12.	Felling of trees.	<p>(a) There shall be no felling of trees on the forest land or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government.</p> <p>(b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made there under.</p>
13.	Drastic change of agriculture system	Regulated under applicable laws.
14.	Commercial water resources including ground water harvesting.	<p>(a) The extraction of surface water and ground water shall be permitted only for <i>bona fide</i> agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land.</p> <p>(b) The extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted, shall require prior written permission from the concerned regulatory authority.</p> <p>(c) No sale of surface water or ground water shall be permitted.</p> <p>(d) Steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.</p>
15.	Erection of electrical cables.	Promote underground cabling.
16.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws.
17.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
18.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose, under applicable laws.
19.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
20.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
21.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
22.	Air (including noise) and vehicular pollution.	Regulated under applicable laws.
23.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.	Recycling of treated effluent shall be encouraged and for disposal of sludge or solid wastes, the existing regulations shall be followed.

24.	Small scale industries not causing pollution.	Non-polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
25.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce.	Regulated under applicable laws.
26.	Security Forces Camp.	Regulated under applicable laws.
27.	New wood based industry.	No establishment of new wood based industry shall be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone: Provided that new wood based industry may be set up in the Eco-sensitive using 100% imported wood stock.
28.	Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists such as tents, wooden houses and other cottages for eco-friendly tourism activities	Regulated under applicable laws.
29.	Ecotourism Activities	Regulated under applicable laws.
30.	Solid Waste Management	Regulated under applicable laws.
<b>C. Promoted Activities:</b>		
31.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming and fisheries.	Permitted under applicable laws
32.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
33.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
34.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
35.	Use of renewable energy sources.	Permitted under applicable laws.
36.	Vegetative fencing.	Permitted under applicable laws.
37.	Cottage industries including village artisans.	Shall be actively promoted.
38.	Environnemental Awareness	Shall be actively promoted.
39.	Skill Development	Shall be actively promoted.
40.	Agro Forestry	Shall be actively promoted.
41.	Community Nature Reserves	Shall be actively promoted.

**5. Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-** (1) The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of the following, namely:-

- (a) The Collector, Kurda—Chairman;
- (b) A Representative of Collector, Cuttack —Member;
- (c) A Representative of Superintendent of Police, Khurda—Member;
- (d) A Representative of Deputy Commissioner of Police, Cuttack—Member;
- (e) Divisional Forest Officer Khurda – Member;
- (f) A representative of the Department of Forests and Environment, Government of Odisha – Member;
- (g) An expert in the field of ecology and environment to be nominated by the State Govt. for a period of three years—Member;
- (h) A representative of Non-governmental Organisations working in the field of environment (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Odisha for a period of three years—Member;
- (i) The Regional Officer, Odisha State Pollution Control Board, Bhubaneswar – Member;

- (j) Representative Department of Mines, Government of Odisha – Member; and
- (k) Representative Department of Urban Development, Government of Odisha – Member; and
- (l) Representative Department of Tourism, Government of Odisha – Member;
- (m) Member State Biodiversity Board-Member; and
- (n) The Divisional Forest Officer, In charge of Chandaka Dampara Wildlife Sanctuary – Member Secretary.

**Terms of Reference.-**

- (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this Notification.
- (2) The tenure of the Committee shall be three years.
- (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14<sup>th</sup> September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14<sup>th</sup> September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
- (5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner may file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
- (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31<sup>st</sup> March of every year by 30<sup>th</sup> June of that year to the Chief Wild Life Warden of the State as per pro forma appended at **Annexure IV**.
- (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.
- 6.** The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.
- 7.** The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/21/2014-ESZ/RE]

DR. T.CHANDINI, Scientist 'G'

**Annexure-I**


**Pillar co-ordinate for Chandaka-Dampara (WL) Sanctuary**

Pillar	LONGITUDE	LATITUDE
A.	85 <sup>0</sup> 48'29.52"E	20 <sup>0</sup> 26'4.33"N
B.	85 <sup>0</sup> 38'57.64"E	20 <sup>0</sup> 25'30.44"N
C.	85 <sup>0</sup> 34'49.85"E	20 <sup>0</sup> 16'11.93"N

D.	85°39'55.91"E	20°12'32.94"N
E.	85°47'48.63"E	20°17'2.90"N
F.	85°48'45.72"E	20°19'10.91"N

**ESZ REFERENCE POINT CO-ORDINATES**

STATION	LONGITUDE	LATITUDE
A.	85°49'38.50"E	20°24'35.28"N
B.	85°44'54.29"E	20°24'44.28"N
C.	85°42'21.46"E	20°24'51.83"N
D.	85°40'6.91"E	20°28'35.23"N
E.	85°39'52.83"E	20°25'20.54"N
F.	85°37'47.53"E	20°22'15.00"N
G.	85°35'49.65"E	20°17'47.14"N
H.	85°34'46.44"E	20°15'56.08"N
I.	85°40'10.18"E	20°13'7.16"N
J.	85°46'49.55"E	20°17'2.72"N
K.	85°45'1.52"E	20°23'12.21"N
L.	85°48'23.30"E	20°23'57.95"N
M.	85°49'26.36"E	20°24'34.04"N

**Annexure II****Map of Eco-sensitive Zone boundary together with its latitudes and longitude of extremes and extent.**

## Annexure III

## Village falling within the proposed Eco Sensitive Zone of Chandaka Dampara Wildlife Sanctuary in Odisha

Sl. No.	Name	Latitude	Longitude
1.	Pitapalli	85° 39' 36.506" E	20° 12' 22.685" N
2.	Kanjama	85° 38' 56.847" E	20° 12' 27.541" N
3.	Kumbharbasta	85° 38' 47.944" E	20° 13' 5.581" N
4.	Palaspur	85° 39' 0.894" E	20° 14' 14.377" N
5.	Madhupur	85° 39' 8.988" E	20° 14' 48.370" N
6.	Angarpada	85° 39' 5.750" E	20° 15' 23.982" N
7.	Minchinpatana	85° 38' 43.898" E	20° 15' 46.644" N
8.	Majana	85° 37' 43.195" E	20° 15' 40.979" N
9.	Tarakai	85° 36' 0.406" E	20° 16' 3.641" N
10.	Kuaput	85° 35' 38.554" E	20° 17' 4.343" N
11.	Talabast	85° 37' 14.868" E	20° 17' 45.621" N
12.	Arapur	85° 36' 50.587" E	20° 20' 38.015" N
13.	Dulanapur	85° 36' 42.493" E	20° 21' 15.246" N
14.	Gadajit	85° 37' 39.149" E	20° 23' 2.081" N
15.	Kusupangi	85° 38' 10.714" E	20° 25' 9.151" N
16.	Pathapur	85° 39' 25.175" E	20° 26' 36.563" N
17.	Kandarpur	85° 39' 46.219" E	20° 27' 38.074" N
18.	Nandailo	85° 40' 27.496" E	20° 27' 8.937" N
19.	Raotarapur	85° 40' 53.396" E	20° 26' 47.084" N
20.	Chari gharia	85° 40' 52.586" E	20° 25' 58.523" N
21.	Dasapur	85° 42' 53.991" E	20° 26' 30.897" N
22.	Gayalabank	85° 42' 22.426" E	20° 25' 7.533" N
23.	Bhagipur	85° 43' 56.312" E	20° 25' 14.008" N
24.	Banara	85° 44' 32.733" E	20° 25' 51.238" N
25.	Chakuleswar	85° 38' 21.235" E	20° 26' 51.940" N
26.	Bhuasuni	85° 46' 6.619" E	20° 24' 24.636" N
27.	Chakradharpur	85° 46' 52.753" E	20° 24' 52.964" N
28.	Ramdaspur	85° 47' 11.368" E	20° 26' 6.616" N
29.	Bhalunka	85° 47' 51.836" E	20° 25' 27.767" N
30.	Ratagara	85° 48' 21.783" E	20° 26' 12.282" N
31.	Chandiprasad	85° 49' 2.251" E	20° 25' 40.717" N

32.	Madhubana	85° 49' 22.485" E	20° 25' 25.339" N
33.	Sribantapur	85° 49' 20.057" E	20° 25' 4.295" N
34.	Chudanga	85° 48' 46.873" E	20° 25' 8.342" N
35.	Daohapatna	85° 49' 28.960" E	20° 24' 39.205" N
36.	Krushnanagar	85° 47' 55.883" E	20° 24' 24.636" N
37.	Tulasadeipur	85° 46' 14.713" E	20° 23' 24.744" N
38.	Chandaka	85° 45' 20.485" E	20° 23' 14.222" N
39.	Similipatana	85° 45' 9.154" E	20° 22' 25.660" N
40.	Anlapatana	85° 45' 14.011" E	20° 21' 56.523" N
41.	Dalua	85° 45' 19.676" E	20° 21' 29.814" N
42.	Kujimahal	85° 45' 39.910" E	20° 21' 24.149" N
43.	Sundarapur	85° 46' 45.469" E	20° 20' 56.630" N
44.	Andharua	85° 46' 38.994" E	20° 19' 11.413" N
45.	Jagannathprasad	85° 46' 8.238" E	20° 20' 14.543" N
46.	Bhola	85° 44' 1.977" E	20° 20' 43.680" N
47.	Dasapur	85° 44' 48.920" E	20° 19' 1.701" N
48.	Ghangapatana	85° 43' 59.549" E	20° 19' 2.510" N
49.	Kantabad	85° 43' 0.466" E	20° 19' 43.788" N
50.	Bhagabatipur(1)mundasahi	85° 42' 19.998" E	20° 18' 55.226" N
51.	Barapita(1)mundasahi	85° 41' 37.101" E	20° 18' 33.373" N
52.	Haridamada(1)adibasisahi	85° 41' 3.917" E	20° 17' 35.099" N
53.	Binjhagiri	85° 40' 7.262" E	20° 16' 57.868" N
54.	Jamujhari	85° 40' 42.874" E	20° 16' 36.015" N
55.	Chatabar	85° 40' 48.540" E	20° 15' 39.360" N
56.	Paniora	85° 39' 51.075" E	20° 14' 7.902" N
57.	Ratanpur	85° 39' 43.791" E	20° 13' 30.671" N
58.	Bhatakuri	85° 40' 4.025" E	20° 12' 41.300" N
59.	Bhogara	85 <sup>0</sup> 41'39.86" E	20° 26' 47.69" N
60.	Bachhipur	85 <sup>0</sup> 49' 53.52" E	20° 25' 33.65" N
61.	Fakirpada	85 <sup>0</sup> 38' 10.50" E	20° 17' 30.25" N
62.	Kadambajhara	85 <sup>0</sup> 39' 53.81" E	20° 18' 28.01" N
63.	Koduamunda	85 <sup>0</sup> 40' 0.57" E	20° 16' 55.61" N
64.	Krishnamohanpur	85 <sup>0</sup> 39' 1.36" E	20° 18' 39.63" N
65.	Bantala	85 <sup>0</sup> 37' 3.66" E	20° 15' 58.02" N
66.	Garh-haladia	85 <sup>0</sup> 34' 17.76" E	20° 16' 53.77" N



**Annexure IV****Proforma of Action Taken Report:- Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-**

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: mention main noteworthy points. Attached minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record.  
Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006.  
Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006.  
Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints ledged under section 19 of Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.